

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 784]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 2015/अग्रहायण 24, 1937

No. 784]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 2015/AGRAHAYANA 24, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 971(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धाराएं 173, 175, 177, 178, 179, 184, 185, 186, 187, 188, 189 और धारा 191 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) दूसरा संशोधन नियम, 2015 है।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 में, -
 - (i) नियम 6 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

“6क संबंधित पक्षकार संव्यवहार के लिए वार्षिक आधार पर बहुप्रयोजनीय अनुमोदन.- सभी संबंधित पक्ष संव्यवहारों के लिए लेखापरीक्षा समिति का अनुमोदन अपेक्षित होगा और लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित शर्तों के अधीन कंपनी द्वारा किए जाने हेतु प्रस्तावित संबंधित पक्ष संव्यवहारों के लिए बहुप्रयोजनीय अनुमोदन कर सकती है, अर्थात् :-

- (1) लेखापरीक्षा समिति निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद बहुप्रयोजनीय अनुमोदन करने के लिए मानदण्ड विनिर्दिष्ट करेगी जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-

- (क) बहुप्रयोजनीय रूट के अधीन एक वर्ष में अनुज्ञात किए जा सकने वाले संकलित संव्यवहारों का अधिकतम मूल्य;
- (ख) प्रति संव्यवहार अनुज्ञात किए जा सकने वाला अधिकतम मूल्य;
- (ग) बहुप्रयोजनीय अनुमोदन प्राप्त करने के समय लेखापरीक्षा समिति को किए जाने वाले प्रकटीकरणों की सीमा और रीति;
- (घ) प्रत्येक बहुप्रयोजनीय अनुमोदन के अनुसरण में कंपनी द्वारा किए गए संबंधित पक्ष संव्यवहार की ऐसे अंतरालों पर पुनर्विलोकन जो समिति उचित समझे;
- (ङ) ऐसे संव्यवहार जो लेखापरीक्षा समिति द्वारा बहुप्रयोजनीय अनुमोदन के अधीन न हों।
- (2) लेखापरीक्षा समिति बहुप्रयोजनीय अनुमोदन करने के लिए मानदंड विनिर्दिष्ट करते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगी, अर्थात् :-
- (क) संव्यवहारों की पुनरावृत्तियां (भूतकाल में या भविष्य में);
- (ख) बहुप्रयोजनीय अनुमोदन की आवश्यकता का न्यायोचित्य।
- (3) लेखापरीक्षा समिति पुनरावृत्ति की प्रकृति के संव्यवहारों के लिए बहुप्रयोजनीय अनुमोदन की आवश्यकता और ऐसे अनुमोदन के कंपनी के हित में होने का स्वयं संतुष्ट करेगी।
- (4) बहुप्रयोजनीय अनुमोदन में निम्नलिखित अंतर्विष्ट या उपदर्शित होंगे :
- (क) संबंधित पक्षों के नाम;
- (ख) संव्यवहार की प्रकृति और अवधि;
- (ग) संव्यवहार की अधिकतम रकम जिसके संबंध में संव्यवहार किया जा सकता है;
- (घ) उपदर्शित आधार मूल्य या वर्तमान संविदा मूल्य और मूल्य में विचलन, यदि कोई हो के लिए फार्मूला; और
- (ङ) लेखापरीक्षा समिति के लिए प्रस्तावित संव्यवहार पर निर्णय लेने हेतु सुसंगत या महत्वपूर्ण कोई अन्य सूचना;
- परंतु यह कि जहां संबंधित पक्ष संव्यवहार की आवश्यकता का पूर्वानुमान न लगाया जा सके और उपरोक्त व्यौरे उपलब्ध न हों वहां लेखापरीक्षा समिति ऐसे संव्यवहारों के लिए उनके मूल्य जो प्रति संव्यवहार एक करोड़ रुपए से अधिक न हो, के अधीन बहुप्रयोजनीय अनुमोदन कर सकती है।
- (5) बहुप्रयोजनीय अनुमोदन एक वित्तीय वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य होगा और ऐसे वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद नया अनुमोदन अपेक्षित होगा।
- (6) बहुप्रयोजनीय अनुमोदन कंपनी के उपक्रम के बेचने या निपटान के संबंध में संव्यवहार के लिए लागू नहीं होगा।
- (7) ऐसी अन्य शर्तें जो लेखापरीक्षा समिति उचित समझे।”
- (ii) नियम 10 का लोप किया जाएगा;
- (iii) नियम 15 के उपनियम (3) में शब्दों “विशेष संकल्प” के लिए, जहां भी वे आते हैं “संकल्प” शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. 1/32/2013-सीएल-V-पाटी]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 240(अ.), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 398(अ.), तारीख 12 जून, 2014, संख्या सा.का.नि. 590(अ.), तारीख 14 अगस्त, 2014 और संख्या सा.का.नि. 206(अ.), तारीख 18 मार्च, 2015 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2015

G.S.R. 971(E).— In exercise of the powers conferred under sections 173, 175, 177, 178, 179, 184, 185, 186, 187, 188, 189 and section 191 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Meetings of Board and its Powers) Second Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014,-

(i) After rule 6, the following rule shall be inserted, namely:-

“6A. Omnibus approval for related party transactions on annual basis.- All related party transactions shall require approval of the Audit Committee and the Audit Committee may make omnibus approval for related party transactions proposed to be entered into by the company subject to the following conditions, namely:-

(1) The Audit Committee shall, after obtaining approval of the Board of Directors, specify the criteria for making the omnibus approval which shall include the following, namely:-

- (a) maximum value of the transactions, in aggregate, which can be allowed under the omnibus route in a year;
- (b) the maximum value per transaction which can be allowed;
- (c) extent and manner of disclosures to be made to the Audit Committee at the time of seeking omnibus approval;
- (d) review, at such intervals as the Audit Committee may deem fit, related party transaction entered into by the company pursuant to each of the omnibus approval made;
- (e) transactions which cannot be subject to the omnibus approval by the Audit Committee.

(2) The Audit Committee shall consider the following factors while specifying the criteria for making omnibus approval, namely: -

- (a) repetitiveness of the transactions (in past or in future);
- (b) justification for the need of omnibus approval.

(3) The Audit Committee shall satisfy itself on the need for omnibus approval for transactions of repetitive nature and that such approval is in the interest of the company.

(4) The omnibus approval shall contain or indicate the following: -

- (a) name of the related parties;
 - (b) nature and duration of the transaction;
 - (c) maximum amount of transaction that can be entered into;
 - (d) the indicative base price or current contracted price and the formula for variation in the price, if any;
- and

(e) any other information relevant or important for the Audit Committee to take a decision on the proposed transaction:

Provided that where the need for related party transaction cannot be foreseen and aforesaid details are not available, audit committee may make omnibus approval for such transactions subject to their value not exceeding rupees one crore per transaction.

(5) Omnibus approval shall be valid for a period not exceeding one financial year and shall require fresh approval after the expiry of such financial year.

(6) Omnibus approval shall not be made for transactions in respect of selling or disposing of the undertaking of the company.

(7) Any other conditions as the Audit Committee may deem fit.”.

(ii) Rule 10 shall be omitted;

(iii) In rule 15, in sub-rule (3), for the words “special resolution”, wherever they occur, the word “resolution” shall be substituted.

[F. No. 1/32/2013-CL-V-Part]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 240(E), dated the 31st March, 2014 and was subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 398(E), dated the 12th June, 2014, number G.S.R. 590(E), dated the 14th August, 2014 and number G.S.R 206(E), dated the 18th March, 2015.